



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना रेहड

दिनांक 15.01.2025

थाना रेहड पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 136/24 धारा 137(2)/64/83/87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.12.2024 को वादी ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गई है और काफी प्रयास करने के पश्चात भी नहीं मिली। तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 136/24 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।



दिनांक 25.12.2024 को थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त नवदेश सिंह उर्फ अभय चौधरी पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी उमरपुर कौसामाफी थाना रजबपुर जनपद अमरोहा का नाम प्रकाश में आया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64/83/87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

आज दिनांक 15.01.2025 को थाना रेहड पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 136/24 धारा 137(2)/64/83/87 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त नवदेश सिंह उर्फ अभय चौधरी पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी उमरपुर कौसामाफी थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नवदेश सिंह पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी उमरपुर कौसामाफी थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 फिरोज खान थाना रेहड जनपद बिजनौर।
- 2-आरक्षी 2085 अमित थाना रेहड जनपद बिजनौर।